हीरालाल प्र. मोहनलाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील 01/2020 (2020/00058)

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/3/2022	पत्रावली पेश हुई। संक्षेप मे विवाद प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स अपील मेमो बाबत नामान्तरकरण संख्या 850 दिनांक 06/12/2019 मौजा भागपुरा इस आशय का प्रस्तुत किया कि खातेदार मृतक कमलादेवी के वैध वारिसान नही होने से कमलादेवी ने अपीलार्थीगण की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपीलार्थीगण के पक्ष मे स्टाम्प संख्या 928 दिनांक 14/11/2019 से उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे वसीयतनामा निष्पादित करवाया जिसे नोटेरी से तस्दीक करवा अपीलार्थीगण को सुपुर्द किया। वसीयतकर्ता का दिनांक 26/11/2019 को स्वर्गवास हो जाने से अपीलार्थीगण ने वसीयत नामे अनुरूप नामांतरण स्वीकृत कराये जाने का अपीलार्थी का आवेदन तहसीलदार चित्तौडगढ़ को प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 24/2019 दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 27/01/2020 को वसीयतनामे अनुसार अपीलार्थीगण के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया। इससे पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया। विवादित आराजी नम्बर 725 रकबा 0.92 मौजा भागपुरा पर वसीयतकर्ता कमलादेवी की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को खातेदार कमलादेवी के वारिस मानते हुए नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को सही व पूर्ण सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 03/12/2020 को [illegible] से हुई। उसी दिन नामान्तरकरण की [illegible] प्राप्त कर अपील बाद जानकारी [illegible] मियाद मे है, फिर भी प्रा. पत्र अन्तर्गत [illegible] मियाद पेश है। अत: निवेदन है कि अपील स्वीकार [illegible] नामांतर [illegible]	

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:28:07 IST
Reason: SelfAttested

चौथूलाल v/s मोहनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	की जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत सेमलपुरा द्वारा निर्णीत ना. सं. 850 दिनांक 06/12/2019 मौजा भादपुरा को निरस्त फरमाया जाकर (तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/01/2020 की अनुपालना) अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करार देने का आदेश प्रदान कराया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट नं. 3, 5 व 18 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधिवक्ता उभय पक्ष ने लिखित बहस प्रस्तुत की। अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस में कथन किया कि मृतक कमला देवी के कोई वारिस पुत्र पुत्री नहीं होने से एवं कमलादेवी की वृद्धावस्था होने से अपीलार्थी द्वारा की गई सेवा-चाकरी से प्रसन्न होकर उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भविष्य में विवाद न हो इसलिए कमला देवी ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी [illegible] में स्टाम्प संख्या 988 कीमती 100/- [illegible] 2019 को वसीयतनामा [illegible] की उपस्थिति में [illegible] लाल व दुर्गाशंकर [illegible] नोटरी पब्लिक से तस्दीक [illegible] लगाकर के उक्त वसीयतनामा [illegible] अपीलार्थीगण [illegible] कमलादेवी का देहान्त 26/11/2019 को [illegible] है। अपीलार्थीगण वसीयतनामे के अनुसार [illegible] की कार्यवाही तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के यहां विचाराधीन होकर निर्णय दिनांक 27/01/2020 को हुआ परन्तु ग्राम पंचायत सेमलपुरा ने कमलादेवी के वारिस पुत्र पुत्री नहीं होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय श्रेणी के वारिसों के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 850 दिनांक 06/12/2019 को स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलार्थीगण वसीयती उत्तराधिकारी है एवं नामान्तरकरण (प्रावधान एवं प्रक्रिया अधिनियम के पेज नम्बर 10 व 11) में नामान्तरकरण ... लगातार (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:28:07 IST
Reason: SelfAttested

चौथमल पुत्र मोहनलाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आदेश पारित करने वाले अधिकारी के बारे मे स्पष्ट उल्लेख है कि विवादास्पद मामले मे भी, नामान्तरकरण की शक्ति तहसीलदार मे निहित है। उक्त आक्षेपित नामान्तरकरण विवादास्पद है एवं विवादास्पद मामले की सुनवाई तहसीलदार के क्षेत्राधिकार मे है। ग्राम पंचायत जेमलपुरा द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर, उक्त नामान्तरकरण सं. 850 दिनांक 06/12/2019 दर्ज किया जो अवैध एवं कानून से परे है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मे वसीयती उत्तराधिकारी मे स्पष्ट किया गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क वाला कोई व्यक्ति जो वयस्क हो अपनी स्व अर्जित सम्पत्ति वसीयत कर सकता है जिसमे 2 दो गवाह मौजूद हो। वसीयत की रजिस्ट्री करवाना, रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 18(e) के अनुसार ऐच्छिक है परन्तु भू-अभिलेख नियमों का नियम 132 कहता है कि वसीयत की भी रजिस्ट्री होना आवश्यक है, ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण के लिए वसीयत की रजिस्ट्री होने पर ही उसे तस्दीक किया जाना चाहिए इससे फर्जी वसीयतो से बचा जा सकेगा। ऐसा करने मे कोई अवैधता नही हो सकती, न ही यह नियम ही अवैध कहा जा सकता है। उक्त वसीयतनामा [illegible] के दौरान रजिस्टर्ड नही थी परन्तु रजि[illegible] अधिनियम 1908 की धारा 40(1) के [illegible] 25 के अन्तर्गत स्पष्ट उल्लेख है कि वसीयतकर्ता या उसकी मृत्यु के पश्चात अन्यथा [illegible] के अधीन निष्पादक के रूप में या [illegible] उसे रजिस्ट्रेशन के लिए किसी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित कर सकेगी। इसी अनुसार अपीलान्ट ने अपने पक्ष मे की गई वसीयत का 24/2/2022 को पंजीयन करवाया। अब उक्त वसीयतनामा रजिस्टर्ड है, जिसको वैध दस्तावेज कहा जा सकता है, जिसके बारे मे कोई संदेह उत्पन्न नही होता है। इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 850 दिनांक 06/12/2019 अवैध है एव अपीलान्टगण की वसीयती उत्तराधिकारी ...... लगातार (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी विजयनगर (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:28:07 IST
Reason: SelfAttested

घीसुलाल V/S मोहनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	है, जिसके बारे में किसी प्रकार का कोई सन्देह उत्पन्न नहीं होता है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार करमायी जावे एवं रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। अपीलार्थीगण द्वारा कानूनी दृष्टान्त आर.टी. एक्ट 1955 धारा 39 वसीयत पेज 118 से 123 व नामान्तरकरण (प्रस्ताव प्रक्रिया अधिनियम) पेज नं. 10 से 12 व रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 50(1) पेज नं. 250 प्रस्तुत किए। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस में स्पष्ट किया कि कमलादेवी का स्वर्गवास हो जाने पर विरासती नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट्स के नाम पर नं. सं. 850 दिनांक 06/12/2019 पारित हुआ, तत्पश्चात घीसुलाल व मोहनलाल ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के यहां वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही का दिनांक 10/12/2019 को पेश किया जिसे एल.आर. एक्ट की धारा [illegible] में दर्ज कर पुनः दिनांक 27/01/2020 को [illegible] पारित किया व वसीयत के आधार पर [illegible] घीसुलाल व मोहनलाल [illegible] गया, जिसके विरुद्ध रेस्पोडेन्ट ने [illegible] आयोग आयुक्त के यहां की अति. [illegible] उदयपुर ने पारित आदेश को [illegible] पंचायत द्वारा स्वीकृत म्युटेशन को [illegible] का आदेश दिया। ऐसी स्थिति में [illegible] पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण को चेलेन्ज नहीं किया जा सकता है, न ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण के सम्बन्ध में बहस सुनी जा सकती है क्योंकि निर्णय से यह अपील इनफेक्चुअस हो चुकी है। इस कारण यह अपील चलने योग्य नहीं है। इस मामले में पंचायत द्वारा नेचुरल वारिसान के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। ऐसी स्थिति में अपील स्पष्ट रूप से काबिल खारिज है। वसीयत के विवाद हेतु सिविल .... लगातार (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:28:07 IST
Reason: SelfAttested

धीमलाल vs मोहनलाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कोर्ट मे वसीयत को वैलीड कराकर ही उसके आधार पर म्युटेशन किया जा सकेगा अन्यथा नही। राजस्व न्यायालय को वसीयत को वैलीड घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है ही ऐसी स्थिति मे अपीलांट की अपील मेन्टीनेबल नही होने से काबिल निरस्त है। अत: अपीलान्ट की अपील खारीज कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।	
हमने पत्रावली का अवलोकन कर अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा पेश किए गए दस्तावेज रजिस्टर्ड वसीयतनामा एवं न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के निर्णय का गहनता से अध्ययन कर, अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जानकारी मे आते ही अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर दी, जिससे मियाद अवधि समय किया जाना न्याय संगत होने से समय की जाती है अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस विवादस्पद नामान्तरकरण की प्रतियां एवं वसीयतनामा की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में दिये गये तर्क से हम सहमत है। प्रकरण मे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सेमलपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 850 दिनांक 06/12/2019 क्षेत्राधिकार से परे था। चूकि उक्त भूमि खातेदारी थी, जिसको खोलने व नामान्तरकरण पारित करने का अधिकार ग्राम पंचायत सेमलपुरा को नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस मे आक्षेप किया कि वसीयतनामा रजिस्टर्ड नही है। कमलादेवी ने जो वसीयतनामा अपीलान्टगण के पक्ष मे किया वह वसीयत कलिमाल मे रजिस्टर्ड है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई सन्देह उत्पन्न नही होता है।	
... लगातार	

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:28:07 IST
Reason: SelfAttested